नगर पंचायत तलाई, तहसील झण्डुता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन (एल0ए0) खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत तलाई, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत तलाई में निम्नलिखित प्रधान तथा सचिव तैनात थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती सरोज कुमारी	1.4.2015 से 17.1.2016
2	श्री बलदेव सिंह स्याल	18.1.2016 से 31.3.2017

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री अशोक कुमार शर्मा	1.4.15 से 21.7.16
2	श्री संजय कुमार (अतिरिक्त कार्यभार)	1.8.15 से 6.9.16
3	श्री ओम प्रकाश शर्मा	6.9.16 से 31.3.17

(ख) नगर पंचायत तलाई के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	(₹) लाखों में
1	निवेशित राशियों पर प्राप्त ब्याज में से बैंकों द्वारा काटे गये टी0डी0एस0 की वसूली न करना	7	1.64
2	दिनांक 31.3.2017 को अनुदानों की अनुपयुक्त राशि	8 (क)	399.32
3	संस्थापना पर अनाधिकृत व्यय	9	19.62

4	गृहकर राशि की वसूली न करना	10 (क)	25.27
5	दुकानों के किराये की बकाया राशि की वसूली बारे	11 (क)	0.67
6	पंचायत द्वारा वेतन पर अधिक भुगतान बारे	12	3.13
7	पंचायत द्वारा कर्मचारियों को अनियमित रूप से सुनिश्चित प्रगतिशील योजना 4–9–14 के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने पर अधिक भुगतान	13	1.72
8	रैहन बसेरा की आय की वसूली न करना	14	0.12
9	मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करने बारे	22	0.13

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से यथा सम्भव इस विभाग को अवगत करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारंण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर पंचायत तलाई, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक का अंकेक्षण श्री चम्बेल सिंह परमार, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) व श्री पुनीत शर्मा (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 30.8.2017 से 28.9.2017 तक के दौरान तलाई में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु आय के लिए माह 3/2016, 3/2017 तथा व्यय के लिए माह 7/2015, 1/2017 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैरों में दर्शाया गया है। आगामी पैराग्राफों में दर्शाए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किये गये।

नगर पंचायत तलाई के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण सचिव नगर पंचायत द्वारा प्रेषित सूचनाओं/उपलब्ध अभिलेख के आधार पर किया गया है। किसी प्रकार की अधूरी व छुपाई गई सूचनाओं के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। अंकेक्षण का दायित्व केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

नगर पंचायत तलाई, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹31400 बनता है। सचिव, नगर पंचायत तलाई को सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) की अधिसूचना संख्या 258 दिनांक 27.9.2017 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को भेजने का आग्रह किया गया। नगर पंचायत द्वारा उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को भारतीय स्टेट बैंक शाखा तलाई के बैंक चैक संख्या 338123 दिनांक 29.9.2017 द्वारा प्रेषित कर दी गई।

4 वित्तीय स्थितिः—

(क) नगर पंचायत तलाई, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ख"** में भी दिया गया है।

क्र0सं0	विवरण	2015—16	2016—17
1	प्रारम्भिक शेष	43662369.44	44973677.16
2	वर्ष के दौरान बचत खातों व सावधि जमा योजना पर अर्जित ब्याज	3216000.72	3155793.00
3	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान राशि	4904728.00	6038359.00
4	वर्ष के दौरान स्वयं स्त्रोतों से प्राप्त आय	1921679.00	2957879.00
5	कुल जमा राशि	53704777.16	57125708.16
6	वर्ष के दौरान व्यय राशि	8731100.00	10550328.87
7	शेष राशि	44973677.16	46575379.29

(ख) बैंक समाधान विवरणिकाः—

(i)	रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को अन्तशेष	46575379.29
(ii)	दिनांक 31.3.2017 तक रोकड़ बही में दर्ज भुगतान (व्यय) के चैक परन्तु बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये	(+) 7920.00
(iii)	दिनांक 31.3.2017 को हस्तगत राशि	(—) 13001.00
(iv)	दिनांक 31.3.2017 को शुद्ध राशि	46570298.29
(v)	दिनांक 31.3.2017 को बैंकों व सावधि जमा योजना में निवेशित राशि का अन्तशेष (₹)	46570298.29

(ग) दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही में दर्ज व्यय के चैक परन्तु भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किये गये का विवरण निम्नलिखित है।

क्र0सं0	दिनांक	चैक नं0	(₹)
1	28.3.2017	148733	7920

(घ) दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही के अनुसार हस्तगत राशि का विवरण निम्नलिखित है:–

क्र0सं0	दिनांक	विवरण	रसीद संख्या	राशि
1	31.3.2017	गृहकर	10/86	3001
2	31.3.2017	दुकान किराया	11/86	4000
3	31.3.2017	गृहकर	49/87	5000
4	31.3.2017	पंचायत क्षेत्र में लंगर लगाने हेतु आज्ञा पत्र	50/87	1000
		योग (हस्तगत राशि)		**₹13001**

(ङ) दिनांक 31.3.2017 को नगर पंचायत तलाई के बचत खातों व सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों का अन्तशेष निम्नलिखित है:–

क्र0सं0	बैंक खाता सं0	बैंक का नाम	अन्तशेष (₹)
1	11710104001	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक शाखा तलाई	1450539.13
2	11710104023	–यथोपरि–	272261.00
3	11710104003	–यथोपरि–	11195.00
4	11513219768	भारतीय स्टेट बैंक शाखा तलाई	2783749.81
5	11513219791	–यथोपरि–	13531.35
6	88850100007023	हि0प्र0 ग्रामीण बैंक शाखा तलाई	174982.00
7	सावधि जमा योजना में दिनांक 31.3.2017 तक निवेशित राशि		41863540.00
		योग	**(₹) 46570298.29**

(च) सावधि निवेशः–

नगर पंचायत तलाई द्वारा दिनांक 31.3.2017 तक ₹41863540 सावधि जमा योजना में निवेशित की गई विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "घ"** में भी दिया गया है।

क्र0सं0	एफ0डी0आर0 सं0	निवेशित दिनांक	निवेशित राशि	ब्याज दर %	अवधि	परिपक्वता की तिथि	परिपक्वता (₹)	बैंक का नाम
1	33646486070	19.9.16	6372282	7.15%	1 वर्ष	19.9.17	6840263	भारतीय स्टेट बैंक शाखा तलाई
2	33646723873	19.9.16	6372282	7.15%	1 वर्ष	19.9.17	6840263	–यथोपरि–
3	33646733665	19.9.16	7890683	7.15%	1 वर्ष	19.9.17	8470175	–यथोपरि–
4	33944899086	1.3.17	6347212	6.90%	1 वर्ष	1.3.18	6796633	–यथोपरि–
5	33794899790	1.3.17	6347212	6.90%	1 वर्ष	1.3.18	6796633	–यथोपरि–
6	11730100658	13.9.16	8533869	7.50%	1 वर्ष	13.9.17	9175224	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक सीमित शाखा तलाई
		योग	₹41863540				44919191	

नोटः– सावधि जमा में निवेशित राशियों को उनकी परिपक्वता तिथि को बैंक से भुनाना/पुनः निवेशित किया जाना सुनिश्चित करें।

5 गत तीन वर्षों की आय तथा व्यय विवरणीः–

नगर पंचायत तलाई की गत तीन वर्षों की आय तथा व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसमें अनुदानों/स्वःस्त्रोतों एवं ब्याज इत्यादि से प्राप्त आय के अतिरिक्त सम्बन्धित वर्ष में किए गए व्यय का विवरण सम्मिलित है।

क्र0सं0	विवरण	2014–15	2015–16	2016–17
1	प्रारम्भिक शेष	40234557.44	43662369.44	44973677.16
2	विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय	11552470.00	10042407.72	12152031.00
3	कुल जमा राशि	51787027.44	53704777.16	57125708.16
4	वर्ष के दौरान व्यय राशि	8127022.00	8731100.00	10550328.87
5	अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/96 से 3/05 की वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तर की राशि	(+) 2364.00	–	–
6	अन्तशेष	43662369.44	44973677.16	46575379.29

6 पैन्शन व उपदान निधिः–

नगर पंचायत तलाई के पैन्शन तथा उपदान निधि की अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ग"** में भी दिया गया है।

(क) पैन्शन निधि

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	ब्याज	आय	कुल जमा	व्यय	अन्तशेष
2014–15	1841280	157540	225384	2224204	–	2224204
2015–16	2224204	26505	132604	2383313	–	2383313
2016–17	2383313	325339	130992	2839644	543827	2295817

अन्तशेष का विवरणः—

(i)	रोकड़ बही में दिनांक 31.3.2017 को अन्तशेष	₹2295817
(ii)	बैकों में जमा शेष राशि बैंक खाता संख्या 11710104024 में जमा राशि	₹346301
(iii)	पैन्शन निधि से सावधि जमा योजना में निवेशित राशि	₹1949516
	योग	₹2295817

(ख) उपदान निधिः—

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	ब्याज	आय	कुल जमा	व्यय	अन्तशेष
2014—15	764997	58967	93906	917870	—	917870
2015—16	917870	16219	55248	989337	—	989337
2016—17	989337	113562	54576	1157475	221589	935886

अन्तशेष का विवरण

(i)	रोकड़ बही में दिनांक 31.3.2017 को अन्तशेष	₹935886
(ii)	बैकों में जमा शेष राशि बैंक खाता संख्या 11710104025 में जमा राशि	₹286047
(iii)	उपदान निधि से सावधि जमा योजना में निवेशित राशि	₹649839
	योग	**₹935886**

(ग) पैन्शन व उपदान निधि से सावधि जमा विवरणीः—

नगर पंचायत तलाई द्वारा दिनांक 31.3.2017 को पैन्शन व उपदान निधि से सावधि जमा योजना में निवेशित राशि का विवरण निम्नलिखित है विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ङ"** में भी दिया गया है।

(i) पैन्शन निधिः—

क्र0 सं0	एफ0डी0आर0 सं0	निवेश की तिथि	निवेशित राशि (₹)	ब्याज दर %	अवधि	परिपक्वता की तिथि	परिपक्वता (₹)	बैंक का नाम
1	11730302785	15.5.14	1639625	8.75%	2 वर्ष	15.5.16	1949516	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक शाखा तलाई
2	11730302785	15.5.16	1949516	7.50%	2 वर्ष	15.5.18	2261871	—यथोपरि—

(ii) उपदान निधि

1	11730302786	14.5.14	546542	8.75%	2 वर्ष	14.5.16	649839	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक शाखा तलाई
2	11730302786	14.5.16	649839	7.50%	2 वर्ष	14.5.18	753957	–यथोपरि–

नोटः– पैन्शन व उपदान निधि से सावधि जमा में निवेशित राशियों को उनकी परिपक्वता तिथि को बैंक से भुनाना/पुनः निवेशित किया जाना सुनिश्चित करें।

7 नगर पंचायत द्वारा करवाई गई निवेशित राशियों पर प्राप्त ब्याज में से विभिन्न बैंकों द्वारा स्त्रोत पर काटे गये टी0डी0एस0 की ₹1.64 लाख की वसूली न करनाः–

अंकेक्षण में जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार विभिन्न बैंकों में राशियाँ निवेशित की गई थी तथा निवेशित राशियों की परिपक्वता की तिथि पर सम्बन्धित बैंकों द्वारा टी0डी0एस0 ₹163742 काटा गया परन्तु पंचायत द्वारा काटे गये कुल टी0डी0एस0 की राशि को सम्बन्धित विभाग से वापिस प्राप्त नहीं किया गया है। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि नगर पंचायत प्रशासन सम्बन्धित बैंकों से सम्पर्क करते हुये स्त्रोत पर काटे गये टी0डी0एस0 ₹163742 की वापिसी हेतु समुचित कदम उठाये।

क्र0सं0	एफ0डी0आर0 सं0	परिपक्वता की तिथि	परिपक्वता पर देय राशि	प्राप्त राशि	स्त्रोत पर काटे गये कर की राशि	बैंक का नाम
1	33646486070	19.9.16	6393970	6372282	21688	भारतीय स्टेट बैंक शाखा तलाई
2	33646723873	19.9.16	6393970	6372282	21688	–यथोपरि–
3	33646733665	19.9.16	7917538	7890683	26855	–यथोपरि–
4	33944899086	1.3.17	6387869	6347212	40657	–यथोपरि–
5	33794899790	1.3.17	6387869	6347212	40657	–यथोपरि–
6	33795684922	1.3.17	1916361	1904164	12197	–यथोपरि–
				योग	**₹163742**	

8 अनुदानः–

(क) नगर पंचायत तलाई द्वारा अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक के दौरान प्राप्त अनुदान व व्यय की गई राशि तथा अन्तशेष का विवरण निम्नलिखित है विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "च"** में भी दिया गया है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान (₹)	कुल जमा (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2014–15	38296125	6094280	44390405	512188	39268521
2015–16	39268521	4904728	44173249	4194374	39978875
2016–17	39978875	6038359	46017234	6085048	39932186

(ख) दिनांक 31.3.2017 तक सरकारी अनुदान ₹399.32 लाख व्यय हेतु शेषः–

नगर पंचायत द्वारा अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के दौरान प्राप्त अनुदानों व इस अवधि में किए गए व्यय तथा व 31.3.2017 को पाये गये अन्तशेष व पूर्व में अनुपयुक्त अनुदान राशियों का विवरण **परिशिष्ट "छ"** पर विस्तार से दिया गया है। वर्ष 2014–15 से पूर्व अवधि के अनुदानों की शेष ₹39268521 में से वर्ष 2015–16 के दौरान ₹3202722 व वर्ष 2016–17 के दौरान ₹65925 व्यय की गई थी, ₹35999874 दिनांक 31.3.2017 को व्यय हेतु शेष थी।

वर्ष 2015–16 के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से ₹4904728 अनुदान के रूप में प्राप्त हुई जिसमें से ₹991652 वर्ष 2015–16 के दौरान व ₹3568581 वर्ष 2016–17 के दौरान व्यय की गई तथा ₹344495 दिनांक 31.3.2017 को अनुपयुक्त थी।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2016–17 के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से अनुदान के रूप में ₹6038359 प्राप्त हुई जिसमें से वर्ष 2016–17 के दौरान ₹2450542 व्यय की गई तथा ₹3587817 दिनांक 31.3.2017 को अनुपयुक्त थी।

उपरोक्त विवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 को ₹39932186 (₹35999874 + ₹344495 + ₹3587817) अनुपयुक्त थी। अतः अनुदान राशियों को सम्बन्धित वर्षों में व्यय न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा शेष राशियों को अविलम्ब नियमानुसार समयबद्ध व्यय किए जाने बारे ठोस पग उठाये जाये अन्यथा अनुपयुक्त राशियों को सम्बन्धित संस्था/विभाग को लौटाया जाना सुनिश्चित करें।

(ग) अनुदान रजिस्टर के अवलोकन करने पर पाया गया कि अनुदान रजिस्टर में यह नहीं दर्शाया गया था कि अनुदान की राशि से किस उद्देश्य हेतु कितना व्यय किया गया है न ही विभिन्न अनुदान राशियों से किए गए व्यय के सम्बन्ध में वाउचरों का विवरण दिया गया था कि किस वाउचर द्वारा कितना व्यय किया गया है। अनुदान रजिस्टर का उचित प्रकार से रख–रखाव न करने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि अनुदान राशियों से

किया गया व्यय सही उद्देश्य हेतु किया गया है। अतः अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव उचित प्रकार से करके अनुदान रजिस्टर व्यय के सम्बन्ध में वाउचर संख्या दिनांक व व्यय का उद्देश्य लिखकर अनुपालना से इस विभाग को आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

9 संस्थापना पर अनाधिकृत रूप से ₹19.62 लाख का अधिक व्ययः–

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 53 (1) तथा निदेशक शहरी विकास के कार्यालय पत्र संख्या यू0एल0बी0–एच (ए) 1–87/9237–84 दिनांक 20.6.2001 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नगर पंचायतों में संस्थापना पर कुल व्यय का 1/3 भाग व्यय करने हेतु सीमित किया गया था परन्तु नगर पंचायत तलाई द्वारा अंकेक्षण के दौरान निम्नविवरणानुसार ₹1962537 का निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किया गया है।

वर्ष	**कुल व्यय**	**अपेक्षित 1/3rd स्थापना व्यय**	**वास्तवकि स्थापना व्यय**	**निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की गई राशि**
2015–16	8731100	2910367	4396823	1486456
2016–17	10550328	3516776	3292857	476081
	निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की राशि			**1962537**

अतः स्थापना पर निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की राशि का सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके नियमितिकरण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10 नगर पंचायत द्वारा गृहकर ₹25.27 लाख की वसूली न करनाः–

(क) नगर पंचायत तलाई द्वारा जारी विवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक गृहकरदाताओं से ₹2527169 वसूली हेतु शेष थी। इस राशि का पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "ज"** में दिया गया है। नगर पंचायत द्वारा गृहकर की बकाया राशि को नियमित रूप से प्राप्त करने हेतु ठोस कार्यवाही नहीं की गई। नगर पंचायत द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 87 व 89 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार गृहकर की बकाया राशि की वसूली न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न विवरणानुसार गृहकर ₹768551 कई वर्षों से वसूली हेतु लम्बित थी जबकि निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्या यू0एल0बी0 (ए) 1/87–9237–9284 दिनांक 20.6.2001 द्वारा करों को शत/प्रतिशत वसूली हेतु निर्देश जारी

किये गये थे। अतः गृहकर की समस्त राशि की वसूली हेतु समुचित कार्रवई करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

वार्ड नं0 3

क्र0सं0	नाम	गृहकर निर्धारण सं0	वार्षिक गृहकर (₹)	दिनांक 31.3.2017 को गृहकर बकाया (₹)
1	श्री ओंकार चन्द	37	2430	33213
2	श्री जय गोपाल	39	3375	39127
3	श्रीमती सरोज मल्होत्रा	57	3004	41051
4	श्री छोटा राम	89	2160	29522
			योग	**₹142913**

वार्ड नं0 4

1	श्री गूँजा राम	27	2025	27677
2	श्री सुकां राम	29	2700	36902
3	श्रीमती कमला चन्देल	75	3375	46127
4	श्रीमती केसरी देवी	89	2160	29522
5	श्री सीता राम	111	2160	29522
6	श्री प्यारे लाल	129	2835	35717
7	श्री गुरूवत्स	141	2025	27677
8	श्री भगत राम	221	2808	31160
			योग	**₹264304**

वार्ड नं0 5

क्र0सं0	नाम	गृहकर निर्धारण सं0	वार्षिक गृहकर (₹)	दिनांक 31.3.2017 को गृहकर बकाया (₹)
1	श्री निकु राम	1	2700	36902
2	श्री बी0आर0 वर्मा	9	2025	27677
3	श्रीमती नरेन्द्र पाल	–	10125	60750
4	श्री गुरूदास सिंह	125	1620	21642
			योग	**₹146971**

N.P. Talai

वार्ड नं0 6

1	श्री रमेश चन्द	43	2025	27177
2	श्री बीरबल राम	53	2025	27477
3	श्रीमती बिमला देवी	65	2700	36902
4	श्री केदार नाथ	131 / 133	1890	25832
5	श्री रमेश चन्द	161	3375	43627
			योग	**₹161015**

वार्ड नं0 7

1	श्री कांशी राम	19	1350	15822
2	श्री नानक राम	–	–	15932
3	श्री राम लाल	69	1580	21594
			योग	**₹53348**
			कुल गृहकर राशि	**₹768551**

(ख) गृहकर का निर्धारण न करने के फलस्वरूप नगर पंचायत को लाखों रूपये की हानिः–

नगर पंचायत तलाई के अंकेक्षण अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के दौरान जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा अपनी सीमा क्षेत्र में बन रहे भवनों के नगर पंचायत द्वारा मापचित्र अनुमोदन के उपरान्त भवन मालिकों द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करने पर नगर पंचायत द्वारा भवन मालिकों को बिजली व पानी के कनैक्शन प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (N.O.C.) जारी किये गये थे, परन्तु पंचायत द्वारा नये बने हुये भवनों का गृहकर निर्धारण नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप इन भवन मालिकों से गृहकर की वसूली नहीं हुई थी। यह प्रक्रिया पिछले कई वर्षों से चल रही थी। गृहकर वसूली रजिस्टर के अनुसार लगभग वर्ष 2012–13 के पश्चात नगर पंचायत के गृहकर भुगतान कर्ताओं की सूची में बढ़ौतरी नहीं हुई है जोकि यह दर्शाती है कि वर्ष 2012–13 के पश्चात नगर पंचायत में जिन भवनों का निर्माण हुआ है एवं बिजली व पानी कनैक्शन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये थे उनका नगर पंचायत द्वारा गृहकर निर्धारण मूल्य / राशि निर्धारित नहीं की है जोकि चिन्ता का विषय है। वर्ष 2012–13 के पश्चात निर्माण किये भवनों पर गृहकर की गणना न करने के फलस्वरूप नगर पंचायत को लाखों रूपये की हानि हुई। अंकेक्षण अवधि 1.4.2015 से

31.3.2017 में नये निर्माण किये गये भवनों के बिजली एवं पानी कनैक्शन हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों का विवरण निम्नलिखित है।

क्र0सं0	भवन मालिक का नाम	रसीद सं0	राशि	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि
1	श्री गुलाबा राम	42/65	50	20.6.15
2	श्री सुरेन्द्र कुमार	47/65	25	23.6.15
3	श्रीमती प्रेम लता	50/65	25	23.6.15
4	श्री पृथ्वी राम	14/66	25	09.7.15
5	श्री पवन कुमार	46/66	100	04.8.15
6	श्री सीता राम	47/66	100	04.8.15
7	श्री प्रदीप कुमार	50/67	250	24.8.15
8	श्री उदों राम	1/68	500	24.8.15
9	श्री श्याम सुन्दर	3/68	50	25.8.15
10	श्री तारा चन्द शर्मा	5/68	250	26.8.15
11	श्री सुख राम	24/68	75	16.9.15
12	श्री सुरेन्द्र कुमार	30/68	25	26.9.15
13	श्री विनोद कुमार	34/68	250	26.9.15
14	श्री राकेश कुमार	01/70	250	09.12.15
15	श्री राकेश कुमार	8/70	250	14.12.15
16	श्री राजेन्द्र सिंह	12/71	250	29.1.16
17	श्री प्यारे चन्द	23/71	25	15.2.16
18	श्री ध्यान चन्द	29/71	50	18.2.16
19	श्री विजय कुमार	30/71	50	20.2.16
20	श्रीमती रत्नी देवी	34/71	25	26.2.16
21	श्री शंकर दास	45/71	25	02.3.16
22	श्री हरवंस सिंह	07/73	1050	16.3.16
23	श्रीमती लता देवी	16/73	350	17.3.16
24	श्री रघुवीर सिंह	27/73	500	18.3.16
25	श्री रत्न चन्द	40/74	300	26.3.16

26	श्री रणजीत सिंह	49/75	350	31.3.16
27	श्री सुरेन्द्र सिंह	8/77	250	13.4.16
28	श्री हरबंस लाल	6/78	250	02.6.16
29	श्री नंद लाल	38/79	250	31.8.16
30	श्री मदन लाल	8/82	250	11.1.17
31	श्री सुरेन्द्र कुमार	9/83	275	03.3.17
32	श्री गूँजा राम	28/83	50	09.3.17
33	श्री नवीन कुमार	41/83	50	10.3.17
34	श्री मुकेश कुमार	8/84	500	15.3.17

नये भवनों को उनकी निर्माण पूर्ण करने की तिथि से नगर पालिका अधिनियम एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार गृहकर की गणना न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये। नगर पालिका अधिनियम एवं सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक नगर पंचायत स्त्तर पर भवन निर्माण पूर्ण करने की तिथि से अब नियमानुसार भवन कर (गृहकर) निर्धारण निर्धारित करके सम्बन्धित भवन मालिकों से गृहकर की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये।

11 दुकानों के किराये की बकाया ₹0.67 लाख की वसूली न करनाः–

(क) नगर पंचायत तलाई द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई **परिशिष्ट "झ"** की सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक दुकानों के किराये की बकाया ₹67217 वसूली हेतु शेष पड़ी थी। नगर पंचायत द्वारा किराये की वसूली हेतु कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अतः मासिक किराये की राशि नियमित रूप से प्राप्त न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित दुकानदारों को नोटिस जारी किए जाए तथा नियम 258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के अनुसार किराया न देने वाले दुकानदारों के विरूद्ध कार्यवाही करके बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करें।

(ख) इसके अतिरिक्त केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग के सेवाकर अधिनियम के अनुसार किराये से प्राप्त आय पर सेवाकर का भुगतान किया जाना अपेक्षित था लेकिन नगर पंचायत तलाई द्वारा वर्ष 2015–16 व 2016–17 के दौरान किराये से प्राप्त आय पर निम्न

संलग्न विवरणानुसार देय सेवाकर ₹9852 को केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग को भुगतान नहीं किया गया था।

सेवाकर अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग को सेवाकर का भुगतान न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सेवाकर की ₹9852 को केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त सेवाकर की देय राशि का सम्बन्धित संस्था/विभाग को समय पर भुगतान न करने पर सरकारी प्राप्तियों का दुरूपयोग किया गया है।

सरकारी प्राप्तियों को समय पर जमा न करने के कारण यदि केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा कोई दण्ड (Penality) लगाई जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा। अतः सेवाकर की उक्त देय राशि का सम्बन्धित विभाग को भुगतान करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में भी समय पर नियमानुसार देय सेवाकर का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

माह/वर्ष	किराये से प्राप्त राशि	सेवाकर %	सेवाकर की भुगतान योग्य राशि
4/2015	–	–	–
5/2015	7000	12.36%	865
6/2015	14000	14%	1960
7/2015	–	–	–
8/2015	1000	14%	140
9/2015	1000	14%	140
10/2015	–	–	–
11/2015	–	–	–
12/2015	3360	14.5%	487
1/2016	–	–	–
2/2016	–	–	–
3/2016	6000	14.5%	870
4/2016	2000	14.5%	290
5/2016	–	–	–
6/2016	–	–	–

N.P. Talai

7/2016	–	–	–
8/2016	5000	15%	750
9/2016	–	–	–
10/2016	–	–	–
11/2016	5000	15%	750
12/2016	–	–	–
1/2017	–	–	–
2/2017	–	–	–
3/2017	24000	15%	3600
		कुल राशि	**=9852**

12 श्री विनोद कुमार, लिपिक को दिनांक 11.7.2006 से अनियमित रूप से कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थानापन्न करने के फलस्वरूप ₹3.13 लाख का अधिक भुगतानः–

अतिरिक्त मुख्य सचिव शहरी विकास हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या यू0डी0बी0 (1)–1/2010 पार्ट–III दिनांक 28.1.2015 द्वारा हिमाचल प्रदेश में नगर परिषद व नगर पंचायत स्तर के कुछ कर्मचारियों जिनमें लिपिक वर्ग भी शामिल है की सेवाओं को परिषद स्तरीय/पंचायत स्तरीय किया गया था। इससे पहले लिपिक वर्ग की सेवायें राज्य स्तरीय थी।

इसके पश्चात अतिरिक्त मुख्य सचिव शहरी विकास हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या यू0डी0बी0 (1)–1/2010 पार्ट–III दिनांक 4.4.2015 द्वारा नगर परिषदों/नगर पंचायतों को नियुक्ति प्राधिकारी (Apointing Authority) घोषित किया गया था। नगर पंचायत तलाई में दिनांक 28.1.2015 को लिपिक के दो पद भरे थे जिनमें निम्न कर्मचारी कार्यरत्त थेः–

क्र0सं0	**कर्मचारी का नाम**	**लिपिक पद पर कार्य ग्रहण की तिथि**
1	श्री मेहर सिंह	1.8.1991
2	श्री विनोद कुमार	11.7.2001

नगर पंचायत तलाई द्वारा प्रस्ताव संख्या 243 दिनांक 3.10.2015 द्वारा श्री विनोद कुमार लिपिक को दिनांक 11.7.2006 से कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थानापन्न किया गया था। कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थानापन्न करने के पश्चात कार्यालय आदेश संख्या NPT

(Estt.)/Placement/2015-1537-1541 दिनांक 16.11.15 द्वारा श्री विनोद कुमार का वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया था।

दिनांक 11.7.2006 को लिपिक के वेतनमान ₹5910–20200+1900 ग्रेड पे में वेतन	7080+1900=8980
दिनांक 11.7.2006 को कनिष्ठ सहायक के वेतनमान ₹5910–20200+2800 ग्रेड पे में वेतन निर्धारण (Intial Start of above scale ₹11170)	₹8370+2800=11170
1.7.2007 वार्षिक वेतन वृद्धि	8710+2800=11510
1.7.2008 वार्षिक वेतन वृद्धि	9060+2800=11860
1.7.2009 वार्षिक वेतन वृद्धि	9420+2800=12220
1.7.2010 वार्षिक वेतन वृद्धि	9790+2800=12590
1.7.2011 वार्षिक वेतन वृद्धि	10170+2800=12970
1.7.2012 वार्षिक वेतन वृद्धि	10560+2800=13360
पद/पर्वग वार 1.10.2012 से संशोधित वेतनमान 10300–34800+3600 ग्रेड पे में वेतन निर्धारण	10560+3600=14160
1.7.2013 वार्षिक वेतन वृद्धि	10990+3600=14590
1.7.2014 वार्षिक वेतन वृद्धि	11430+3600=15030
1.7.2015 वार्षिक वेतन वृद्धि	11880+3600=15480
1.7.2016 वार्षिक वेतन वृद्धि	12350+3600=15950
1.7.2017 वार्षिक वेतन वृद्धि	12830+3600=16430

उपरोक्त वेतन निर्धारण के मामले में निम्न अनियमिततायें पाई गई

नगर पंचायत के लिपिक वर्ग की सेवाओं को 28.1.2015 से नगर पंचायत स्तर की किया गया था। इससे पहले नगर पंचायत के लिपिक वर्ग की सेवायें राज्य स्तर की थी तथा वरिष्ठता सूची भी राज्य स्तर की ही होनी चाहिए थी। दिनांक 28.1.2015 से पूर्व अवधि से नगर पंचायत लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थानापन्न करने हेतु सक्षम नहीं थी। अतः श्री विनोद कुमार, लिपिक को दिनांक 11.7.2006 से कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थापनान्न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए।

श्री विनोद कुमार, लिपिक को दिनांक 11.7.2006 से अनियमित रूप से कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थानापन्न करने के कारण उन्हें दिनांक 11.7.2006 से दिनांक 31.8.2017 तक ₹312935 का अधिक भुगतान किया गया है जिसका विवरण **परिशिष्ट "ञ"** पर दिया गया है। अधिक भुगतान राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 253 दिनांक 13.9.2017 द्वारा सचिव नगर पंचायत तलाई के ध्यान में लाया गया था लेकिन सचिव नगर पंचायत तलाई द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

13 नगर पंचायत के कर्मचारियों को अनियमित रूप से सुनिश्चित प्रगतिशील योजना 4, 9, 14 के अन्तर्गत लाभ प्रदान पर ₹1.72 लाख का अधिक भुगतानः—

विशेष सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या फिन (पी आर)—बी (7)—64/2010 दिनांक 26.2.2013 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पैरा 3 में स्पष्ट किया गया था कि जिन कर्मचारियों को पद/पर्वग वार संशोधित वेतनमानों में दिनांक 1.10.2012 से लाभ प्रदान किया गया है। उन कर्मचारियों को सुनिश्चित प्रगतिशील योजना 4, 9, 14 के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने हेतु दिनांक 1.10.2012 से स्वीकृत पद/पर्वग वार वेतन मान को वित्तीय लाभ मानकर इन कर्मचारियों को 4, 9, 14 का लाभ प्रदान करने हेतु दिनांक 1.10.2012 से गणना की जानी थी। अंकेक्षण के दौरान अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत तलाई के निम्न कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार अनियमित रूप से सुनिश्चित प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया गया था।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम/पद	कार्य ग्रहण की तिथि	पद/पर्वग वार संशोधित वेतनमान की तिथि	ए सी पी के अन्तर्गत 4, 9, 14 का लाभ प्रदान करने की तिथि
(क)	श्री अनिल कुमार, सेवादार	14.11.2008	1.10.2012	14.11.2012
(ख)	श्री रिखी राम, सफाई कर्मचारी	18.11.2008	1.10.2012	18.11.2012
(ग)	श्री कृष्ण कुमार, सफाई कर्मचारी तथा श्री हरि सिंह, सफाई कर्मचारी	16.12.2009	1.10.2012	12.12.2013

उपरोक्त विवरणानुसार नगर पंचायत के कर्मचारियों को अनियमित रूप से कार्य ग्रहण की तिथि से गणना करके 4, 9, 14 सुनिश्चित प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया गया था जबकि इन कर्मचारियों को पद/पर्वग वार संशोधित वेतनमानों की तिथि से गणना करके सुनिश्चित प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत 4, 9, 14 का लाभ प्रदान किया जाना था। अनियमित रूप से सुनिश्चित प्रगतिशील योजना 4, 9, 14 का लाभ प्रदान करके इन कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार ₹171660 का वेतन व भत्तों के रूप में अधिक भुगतान किया गया है।

(क) श्री अनिल कुमार सेवादार को दिनांक 14.11.2008 से नियमित किया गया था। श्री अनिल कुमार का वेतन ₹4900–10680+1300 ग्रेड पे के वेतनमान में निम्न प्रकार से निर्धारित व भुगतान किया गया था।

दिनांक 14.11.2008 को वेतन	4900+1300=6200
1.11.2009 वार्षिक वेतन वृद्धि	4900+190=5090+1300=6390
1.11.2010 वार्षिक वेतन वृद्धि	5090+200=5290+1300=6590
1.11.2011 वार्षिक वेतन वृद्धि	5290+200=5490+1300=6790
1.11.2012 पद/पर्वग वार संशोधित वेतनमान 4900–10680+1650 ग्रेड पे से वेतन निर्धारण	5490+1650=7140
1.11.2012 वार्षिक वेतन वृद्धि	5490+220=5710+1650=7360
14.11.2012 सुनिश्चित प्रगतिशील योजना 4, 9, 14 के अन्तर्गत लाभ प्रदान करके ₹4900–10680+1800 ग्रेड पे के वेतनमान में वेतन निर्धारण	5710+220=5930+1800=7730
1.11.2013 वार्षिक वेतन वृद्धि	5930+240=6170+1800=7970
1.11.2014 वार्षिक वेतन वृद्धि	6170+240=6410+1800=8210
1.11.2015 वार्षिक वेतन वृद्धि	6410+250=6660+1800=8460
1.11.2016 वार्षिक वेतन वृद्धि	660+260=6920+1800=8720
31.12.2016 लिपिक के पद पर पदोन्नति उपरान्त 5910–20200+1900 ग्रेड पे के वेतनमान में वेतन निर्धारण	6920+270=7190+1900=9090

श्री अनिल कुमार सेवादार को 14.11.2012 से सुनिश्चित प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत लाभ देय नहीं था। अतः श्री अनिल कुमार को 14.11.2012 सें निम्न प्रकार से भुगतान किया जाना था।

14.11.2012 को देय वेतन	5710+1650=7360
1.11.2013 वार्षिक वेतन वृद्धि	5710+220=5930+1650=7580
1.11.2014 वार्षिक वेतन वृद्धि	5930+230=6160+1650=7810
1.11.2015 वार्षिक वेतन वृद्धि	6160+240=6400+1650=8050
1.11.2016 वार्षिक वेतन वृद्धि	6400+250=6650+1657=8300
31.12.2016 लिपिक के पद पर पदोन्नति उपरान्त ₹5910–20200+1900 ग्रेड पे के वेतनमान में वेतन निर्धारण	₹6650+250=6900+1900=8800

श्री अनिल कुमार सेवादार/लिपिक को सुनिश्चित प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत दिनांक 14.11.2012 से अनुचित लाभ प्रदान किए जाने के कारण उन्हें ₹46056 का अधिक भुगतान किया गया है जिसका विवरण **परिशिष्ट "ट"** पर दिया गया है।

(ख) श्री रिखी राम सफाई कर्मचारी को दिनांक 18.11.2008 से नियमित किया गया था। श्री रिखी राम का वेतन ₹4900–10680+1300 ग्रेड पे के वेतन मान में निम्न प्रकार से निर्धारित व भुगतान किया गया था।

दिनांक 18.11.2008 को वेतन	4900+1300=6200
1.11.2009 वार्षिक वेतन वृद्धि	4900+190=5090+1300=6390
1.11.2010 वार्षिक वेतन वृद्धि	5090+200=5290+1300=6590
1.11.2011 वार्षिक वेतन वृद्धि	5290+200=5490+1300=6790
1.10.2012 पद/पर्वग वार संशोधित वेतनमान ₹4900–10680+1650 में वेतन निर्धारण	5490+1650=7140
1.11.2012 वार्षिक वेतन वृद्धि	5490+220=5710+1650=7360
18.11.2012 सुनिश्चित प्रगतिशील योजना 4, 9, 14 के अन्तर्गत लाभ प्रदान करके ₹4900–10680+1800 ग्रेड पे के वेतनमान में वेतन निर्धारण	5710+220=5930+1800=7730
1.11.2013 वार्षिक वेतन वृद्धि	5930+240=6170+1800=7870
1.11.2014 वार्षिक वेतन वृद्धि	6170+240=6410+1800=8210
1.11.2015 वार्षिक वेतन वृद्धि	6410+250=6660+1800=8460
1.11.2016 वार्षिक वेतन वृद्धि	6660+260=6920+1800=8720

श्री रिखी राम सफाई कर्मचारी को दिनांक 18.11.2014 से सुनिश्चित प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत लाभ देय नहीं था। अतः उन्हें 18.11.2012 के पश्चात निम्नानुसार वेतन का भुगतान किया जाना था।

18.11.2012 को वेतन	5710+1650=7360
1.11.2013 वार्षिक वेतन वृद्धि	5710+220=5930+1650=7580
1.11.2014 वार्षिक वेतन वृद्धि	5910+230=6160+1650=7810
1.11.2015 वार्षिक वेतन वृद्धि	6160+240=6400+1650=8050
1.11.2016 वार्षिक वेतन वृद्धि	6400+250=6650+1650=8300

श्री रिखी राम सफाई कर्मचारी को सुनिश्चित प्रगतिशील योजना 4, 9, 14 के अन्तर्गत दिनांक 18.11.2012 से अनुचित लाभ प्रदान किए जाने के कारण उन्हें ₹48496 का अधिक भुगतान किया गया है जिसका विवरण **परिशिष्ट "ठ"** पर दिया गया है।

(ग) श्री कृष्ण चन्द व श्री हरी सिंह सफाई कर्मचारी की नियुक्ति दिनांक 16.12.2009 को की गई थी। उन्हें ₹4900–10680+1300 ग्रेड पे के वेतनमान में निम्न विवरणानुसार वेतन व भत्तों का भुगतान किया गया था।

16.12.2009 को वेतन निर्धारित	4900+1300=6200
1.12.2010 वार्षिक वेतन वृद्धि	4900+190=5090+1300=6390
1.12.2011 वार्षिक वेतन वृद्धि	5090+200+5290+1300=6590
1.10.2012 पद/पर्वग वार संशोधित वेतनमान ₹4900–10680+1650 ग्रेड पे में वेतन निर्धारण	5290+1650=6940
1.12.2012 वार्षिक वेतन वृद्धि	5290+210=5500+1650=7150
1.12.2013 वार्षिक वेतन वृद्धि	5500+220=5720+1650=7370
16.12.2013 सुनिश्चित प्रगतिशील योजना 4, 9, 14 के अन्तर्गत लाभ प्रदान करके ₹4900–10680+1800 के वेतनमान में वेतन निर्धारण	5720+230=5950+1800=7750
1.12.2014 वार्षिक वेतन वृद्धि	5950+240=6190+1800=7990
1.12.2015 वार्षिक वेतन वृद्धि	6190+240=6430+1800=8230
1.12.2016 वार्षिक वेतन वृद्धि	6430+250=6680+1800=8480

श्री कृष्ण चन्द व श्री हरी सिंह सफाई कर्मचारी को दिनांक 16.12.2013 से सुनिश्चित प्रगतिशील योजना 4, 9, 14 के अन्तर्गत लाभ देय नहीं था। अतः उन्हें 16.12.2013 के पश्चात निम्नानुसार वेतन का भुगतान किया जाना था।

16.12.2013 को वेतन	5720+1650=7370
1.12.2014 वार्षिक वेतन वृद्धि	5720+230=5950+1650=7600
1.12.2015 वार्षिक वेतन वृद्धि	5950+230=6180+1650=7830
1.12.2016 वार्षिक वेतन वृद्धि	6180+240=6420+1650=8070

श्री कृष्ण चन्द व श्री हरी सिंह सफाई कर्मचारियों को दिनांक 16.12.2013 से सुनिश्चित प्रगतिशील योजना 4, 9, 14 के अन्तर्गत अनुचित रूप से लाभ विवरणानसार ₹77108 का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ड"** पर दिया गया है।

1	श्री कृष्ण चन्द	38554
2	श्री हरि सिंह	38554
	कुल राशि	**77108**

उपरोक्त कर्मचारियों को सुनिश्चित प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने हेतु दिनांक 1.10.2012 से गणना करके अलग से मामला उठाया जाये तथा उपरोक्त विवरणानुसार सम्बन्धित कर्मचारियों को अधिक भुगतान राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाये।

उपरोक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 253 दिनांक 13.9.2017 द्वारा सचिव नगर पंचायत तलाई के ध्यान में लाया गया था। लेकिन सचिव नगर पंचायत तलाई द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

14 रैहन बसेरा की आय ₹0.12 लाख की वसूली न करनाः–

नगर पंचायत तलाई के अंकेक्षण अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के अंकेक्षण के दौरान रैहन बसेरा रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार रैहन बसेरा में ठहरने वाले विभिन्न व्यक्तियों/अधिकारियों से ₹200 प्रतिदिन की दर से ₹12400 की वसूली नहीं की गई थी। अतः रैहन बसेरा में ठहराव करने पर किराये की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित राशि की वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	रैहन बसेरा में ठहरने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम	ठहरने की अवधि	आरक्षित कमरों की सं0	वसूली योग्य राशि
1	अध्यक्ष मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई	14.3.2017 से 13.4.2017 (31 दिन)	2 सैट	12400

15 **कार्य का नामः–** श्री जुल्फी राम के घर से दियोट सिद्ध की तरफ वार्ड नं0 7 में रास्ते का निर्माण करना

संविदाकार का नामः– श्री नथू राम

अनुबन्ध पत्रः– NPT/Tender/Award/est/2016-17 V-I-1094-1100 dated 20-9-2016

वाउचर संख्या 163 दिनांक 3.1.2017 ₹252208

उपरोक्त कार्य के प्रथम/अन्तिम बिल की जाँच करने पर ₹8719 का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है।

(क) प्रथम चलित बिल की मद संख्या 3 द्वारा वर्णित कार्य सी0सी0 1:6:12 एग्रीमेंट स्टोन 40 एमएम इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 22.46 घन मीटर का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 16 पृष्ठ 3 पर ₹2300 प्रति घन मीटर की दर से किया गया था। उपरोक्त कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 15 पृष्ठ 4 पर की गई थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 21.96 घन मीटर के स्थान पर 22.46 घन मीटर दर्शाई गई जिसके फलस्वरूप संविदाकारों को 0.50 घन मीटर (22.46–21.96 घन मीटर) का ₹2300 प्रति घन मीटर की दर से ₹1150 का अधिक भुगतान किया गया था।

(ख) प्रथम चलित बिल की मद संख्या 4 द्वारा वर्णित कार्य आर0सी0सी0 1:2:4 इत्यादि से सम्बन्धित किए गये कार्य की मात्रा 20.98 घन मीटर का भुगतान ₹4350 प्रति घन मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 16 पृष्ठ 3 पर किया गया था। उपरोक्त कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 15 पृष्ठ 5 पर की गई थी, का अवलोकन करने पर पाया गया कि गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 19.24 घन मीटर के स्थान पर 20.98 घन मीटर दर्शाई गई थी, जिसके फलस्वरूप संविदाकार को (20.98–19.24)=1.74 घन मीटर) कार्य मात्रा के लिए 4350 प्रति घन मीटर की दर से ₹7569 (1.74X4350) का अधिक भुगतान

किया गया था। अतः अधिक भुगतान की गई राशि की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 **कार्य का नामः–** सोहन लाल के घर के नजदीक रिटेनिंग वॉल का निर्माण कार्य वार्ड नं0 2 तलाई

संविदाकार का नामः– श्री पंकज कुमार

अनुबन्ध की संख्याः– NPT/Tender/Award/estt/2016-17 vol-1-1200-1206 दिनांक 3.10.2016

वाउचर संख्याः– 179 दिनांक 28.1.2017 ₹99780

उपरोक्त कार्य के प्रथम एवं अन्तिम चलित बिल के दौरान किये गये भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि बिल की मद संख्या 5 द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सी0सी0 1:3:6 इन ओपन फाऊंडेशन इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 10.40 घन मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 16 पृष्ठ 20 पर किया गया था। इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 15 पृष्ठ 19 पर की गई थी, का अवलोकन करने पर पाया गया कि गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 9.85 घन मीटर के स्थान पर 10.40 घन मीटर दर्शाई गई थी, जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 0.55 घन मीटर (10.40 घन मीटर–9.85 घन मीटर) कार्य मात्रा के लिए ₹2700 घन मीटर की दर से ₹1485 का अधिक भुगतान किया गया था। अतः अधिक भुगतान ₹1485 की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

17 **कार्य का नामः–** श्रीमती भगवती देवी के घर के साथ नाले में दोनों तरफ रिटेनिंग वॉल से सम्बन्धित निर्माण कार्य करना

संविदाकार का नामः– श्री देव निधि

अनुबन्ध संख्याः–NPT/Tender/Award/Estt/2016-17 V-I 1101-1107 दिनांक 20.9.2016

वाउचर संख्याः– 164 दिनांक 3.1.2017 ₹158995

उपरोक्त कार्य के प्रथम व अन्तिम बिल की जाँच करने पर पाया गया कि बिल की मद संख्या 2 द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग सी सी 1:4:8 पलम कन्क्रीट 15 एमएम सहित से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 39.34 घन मीटर का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 16 पृष्ठ 8 पर किया गया था। उपरोक्त कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 15 पृष्ठ 9 पर की गई थी, का अवलोकन करने पर पाया गया कि गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 39 घन मीटर के स्थान पर 39.34 घन मीटर दर्शाई

गई थी, जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 0.34 घन मीटर (39.34 घन मीटर–39.00 घन मीटर) कार्य मात्रा के लिए ₹3463 प्रति घन मीटर की दर से ₹1177 का अधिक भुगतान किया गया था। उपरोक्त ₹1177 की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 नगर पंचायत द्वारा विवाह पंजीकरण शुल्क की ₹100 वसूली न करने बारेः–

नगर पंचायत तलाई के अंकेक्षण 1.4.2015 से 31.3.2017 तक विवाह पंजीकरण शुल्क से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क ₹100 की वसूली नहीं की गई, जबकि संस्था द्वारा विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया था। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली किये बिना प्रमाण पत्र जारी करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा सम्बन्धित से अब पंजीकरण शुल्क की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	विवाह की तिथि	नाम व पता	विवाह के पंजीकरण की तिथि	शुल्क राशि जो पंचायत द्वारा वसूल नहीं की गई
1	25.1.2015	अमित कुमार सोनी सुपुत्र सुभाष चन्द वार्ड नं0 4 तलाई	3.12.2015	50
2	4.11.2016	रामेश्वर कुमार सुपुत्र किशोरी लाल वार्ड नं0 4 तलाई	15.12.2016	50
			योग	**₹100**

19 कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 के प्रावधानों की अनुपालना न करनाः–

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 के प्रावधान दिनांक 8.1.2011 से सभी नगर परिषदों व नगर पंचायतों में लागू थे, जिसके बारे निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्या यू0डी0–(एच) (बी) (10) –2/2007–1923–72 दिनांक 30.1.2012 द्वारा सभी नगर पंचायतों को सूचित किया गया था तथा जिसकी अनुपालना में नगर पंचायतों को यह सुनिश्चित करना था कि जिन संविदाकरों के माध्यम से निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं वह अपने कर्मचारियों का ई0पी0एफ0 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास जमा कर रहे है। अंकेक्षण के दौरान अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि जिन संविदाकारों के माध्यम से निर्माण कार्य करवाये जा रहे थे उन संविदाकरों से भविष्य निधि संगठन कार्यालय में

पंजीकरण से सम्बन्धित दस्तावेज/अभिलेख प्राप्त नहीं किये गये थे और न ही यह सुनिश्चित किया गया था कि संविदाकारों द्वारा अपने कर्मचारियों का ई0पीएफ0 अंशदान जमा करवाया जा रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नगर पंचायत द्वारा जिन संविदाकारों के माध्यम से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, वह अपने कर्मचारियों का ई0पी0एफ0 जमा नहीं कर रहे है। संविदाकारों द्वारा अपने कर्मचारियों का ई0पी0एफ0 जमा न करने पर यदि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा नगर पंचायत को कोई दण्ड (Penality) लगाई जाती है तो इसके लिए सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी उत्तरदायी होगे। इसके अतिरिक्त भविष्य में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 के प्रावधानों की अनुपालना करते हुये निर्माण कार्य करवाये जाने सुनिश्चित करें।

20 भवन निर्माण माप चित्र शुल्क की ₹197 कम वसूली बारेः—

भवन निर्माण माप चित्र शुल्क अभिलेख कर जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 2015—16 के दौरान श्री रूप लाल सुपुत्र श्री निकु राम वार्ड 0 4 तलाई के भवन के माप चित्र को नगर पंचायत के प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 24.2.2016 व स्वीकृति पत्र संख्या 429 दिनांक 11.3.2016 द्वारा पारित किया गया था पंचायत द्वारा माप चित्र शुल्क ₹786 की वसूली की गई। शुल्क की जाँच पर पाया गया कि वास्तव में निम्न विवरणानुसार शुल्क ₹983 बनती थी।

(i)	Change of Land use charges	104.32x5=522
(ii)	माप चित्र शुल्क	461
	योग	**₹983**

इस प्रकार परिषद द्वारा माप चित्र शुल्क ₹197 (983—786) की कम वसूली की गई। अतः माप चित्र शुल्क ₹197 के कम वसूली करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा सम्बन्धित से राशि की वसूली करके पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

21 सामान्य भविष्य निधि, पैन्शन तथा उपदान निधि के लेखों का रख—रखाव नियमानुसार न करनाः—

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या LSG B (1)-1/79/III दिनांक 25-4-2000 द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका कर्मचारी (पैन्शन उपदान व सामान्य भविष्य निधि) नियम 2000 अधिसूचित किए गए है। इन नियमों के नियम 3 में प्रावधान किया गया है कि

नगर पालिका के कर्मचारियों को पैन्शन लाभों की अदायगी के उद्देश्य हेतु निदेशक द्वारा पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि की स्थापना करने के साथ–2 इसका रख रखाव भी किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इस नियम के उप–नियम (3) में यह भी प्रावधान किया गया है कि नगर पालिकाऐं कर्मचारियों के समय वेतनमान के अधिकतम पर क्रमशः 12**%** तथा 5**%** की दर से पैन्शन व ग्रेच्युटी का माहवार अभिदान उक्त पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि में जमा करवायेगी। उक्त नियमों के नियम 9 में प्रावधान किया गया है कि सामान्य भविष्य निधि स्थापना तथा लेखों का रख–रखाव भी निदेशक (शहरी विकास) द्वारा ही किया जाएगा। नगर पंचायत के अंकेक्षण में पाया गया कि उक्त वर्णित निधियों के लेखों का रख–रखाव निदेशक की अपेक्षा स्वयं नगर पंचायत द्वारा ही किया जा रहा है जोकि नियमों के विपरीत है।

22 मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क की ₹0.13 लाख की वसूली न करनाः–

अभिलेख की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि पंचायत क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों द्वारा रिहाईसी एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के भवनों के ऊपर मोबाईल टावर स्थापित किये गये है। हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT-DEV (IT) 2005 (Misc) दिनांक 20.8.2006 द्वारा निर्धारित स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क की बकाया ₹12500 दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न कम्पनियों से वसूली हेतु शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ढ"** में दिया गया है। अतः मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क की बकाया राशि को शीघ्र सम्बन्धित कम्पनियों से वसूल करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

23 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापना न किया जानाः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि में नगर पंचायत के विभिन्न स्टॉक रजिस्टरों में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical verification) नहीं किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना करवाई जानी अपेक्षित है। अतः नियमों की अवहेलना करके प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब प्रत्यक्ष सत्यापना करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

24 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई।

25 **निष्कर्षः—** लेखों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश,शिमला—171009.
फोन नं0—0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0(एच(2)(15) 5 (75) / 84 खण्ड —2—2199—2200 दिनांक, 27.03.2018 शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत 1 सचिव, नगर पंचायत तलाई, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर इस विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला—171002 को पैरा 1 (ख) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

हस्ता / —
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881

परिशिष्ट "क" पैरा संख्या 1 (ग) में वर्णित

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित अनुपालना के सत्यापन उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से थी

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार शहरी विकास विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन फरवरी 95 से मार्च 1997 (विशेष रिपोर्ट)

1	पैरा–8	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/93

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–6	अनिर्णीत

(ग) उप नियन्त्रक (अंकेक्षण) का दिनांक 27.10.95 से 28.10.95 का निरीक्षण प्रतिवेदन

1	पैरा–8	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/96

1	पैरा–8	अनिर्णीत
2	पैरा–12 (क)	अंशतः निर्णीत
3	पैरा–13 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा–13 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा–13 (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा–14 (क)	अनिर्णीत
7	पैरा–14 (ख)	अनिर्णीत
8	पैरा–14 (ग)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/2005

1	पैरा–6 (क, ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत	
3	पैरा–6 (3)	निर्णीत	(सचिव नगर पंचायत द्वारा दिये गये उत्तर/स्पष्टीकरण के आधार पर)
4	पैरा–6 (4)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
5	पैरा–6 (5)	अनिर्णीत	
6	पैरा–6 (7)	अनिर्णीत	
7	पैरा–6 (8)	अनिर्णीत	

N.P. Talai

8	पैरा–6 (9)	अनिर्णीत	
9	पैरा–6 (10)	अनिर्णीत	
10	पैरा–7 (ग) (1)	अनिर्णीत	
11	पैरा–7 (ग) (2)	अनिर्णीत	
12	पैरा–7 (ग) (3)	निर्णीत	(₹1209 की वसूली रसीद संख्या 18/74 दिनांक 22.3.16 द्वारा कर ली गई है)
13	पैरा–7 (घ)	अनिर्णीत	
14	पैरा–7 (ङ)	अनिर्णीत	
15	पैरा–7 (च)	अनिर्णीत	
16	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत	
17	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत	
18	पैरा–8 (छ)	अनिर्णीत	
19	पैरा–8 (ज)	अनिर्णीत	
20	पैरा–8 (ञ)	अनिर्णीत	
21	पैरा–8 (ड)	अनिर्णीत	
22	पैरा–8 (ण)	अनिर्णीत	
23	पैरा–8 (त)	अनिर्णीत	
24	पैरा–8 (थ)	अनिर्णीत	
25	पैरा–8 (द)	अनिर्णीत	
26	पैरा–8 (न)	अनिर्णीत	
27	पैरा–8 (प)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
28	पैरा–8 (ब)	अनिर्णीत	
29	पैरा–8 (भ)	अनिर्णीत	
30	पैरा–8 (म)	अनिर्णीत	
31	पैरा–8 (य)	अनिर्णीत	
32	पैरा–8 (ल)	अनिर्णीत	
33	पैरा–8 (व)	अनिर्णीत	
34	पैरा–8 (श)	अनिर्णीत	

N.P. Talai

35	पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत
36	पैरा–9 (ग) (1)	अनिर्णीत
37	पैरा–9 (ग) (2)	अनिर्णीत
38	पैरा–9 (ग) (3)	अनिर्णीत
39	पैरा–9 (घ) (1)	अनिर्णीत
40	पैरा–9 (घ) (2)	अनिर्णीत
41	पैरा–9 (घ) (3)	अनिर्णीत
42	पैरा–9 (ङ) (1)	अनिर्णीत
43	पैरा–9 (ङ) (2)	अनिर्णीत
44	पैरा–9 (च) (1)	अनिर्णीत
45	पैरा–9 (च) (2)	अनिर्णीत
46	पैरा–9 (छ) (1)	अनिर्णीत
47	पैरा–9 (छ) (2)	अनिर्णीत
48	पैरा–9 (ज) (1)	अनिर्णीत
49	पैरा–9 (ज) (2)	अनिर्णीत
50	पैरा–9 (ज) (3)	अनिर्णीत
51	पैरा–9 (ज) (4)	अनिर्णीत
52	पैरा–9 (झ)	अनिर्णीत
53	पैरा–9 (ञ)	अनिर्णीत
54	पैरा–9 (ट) (1)	अनिर्णीत
55	पैरा–9 (ट) (2)	अनिर्णीत
56	पैरा–9 (ट) (3)	अनिर्णीत
57	पैरा–9 (ड)	अनिर्णीत
58	पैरा–9 (ढ)	अनिर्णीत
59	पैरा–9 (ण)	अनिर्णीत
60	पैरा–9 (त)	अनिर्णीत
61	पैरा–9 (थ)	अनिर्णीत
62	पैरा–9 (द)	अनिर्णीत
63	पैरा–9 (ध) (1)	अनिर्णीत

N.P. Talai

64	पैरा–9 (ध) (2)	अनिर्णीत
65	पैरा–9 (ध) (3)	अनिर्णीत
66	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत
67	पैरा–10 (ख)	अंशतः निर्णीत
68	पैरा–10 (ग) (1)	अनिर्णीत
69	पैरा–10 (ग) (2)	अनिर्णीत
70	पैरा–10 (ग) (3)	अनिर्णीत
71	पैरा–10 (घ)	अनिर्णीत
72	पैरा–10 (ङ) (क)	अनिर्णीत
73	पैरा–10 (ङ) (ख)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2007

1	पैरा–4 (3)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (4)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (6)	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (ए) (1)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010

1	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–10 (3)	अनिर्णीत
4	पैरा–10 (4)	अनिर्णीत

(ज) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2013

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा–10 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा–12	अनिर्णीत
7	पैरा–15 (क)	अनिर्णीत

N.P. Talai

8	पैरा–15 (ख)	अनिर्णीत	
9	पैरा–17 (क)	अनिर्णीत	
10	पैरा–17 (ख)	अनिर्णीत	
11	पैरा–17 (ग)	अनिर्णीत	
12	पैरा–18 (क)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
13	पैरा–19 (क)	अनिर्णीत	
14	पैरा–21	अनिर्णीत	
15	पैरा–22	अनिर्णीत	
16	पैरा–23	अनिर्णीत	
17	पैरा–24	अनिर्णीत	

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2015

1	पैरा–3	समाप्त	(अंकेक्षण शुल्क ₹31400 बैक ड्राफ्ट 032348 दिनांक 22.6.15 द्वारा जमा कर दिया गया है)
2	पैरा–4	निर्णीत	(–अपडेटिड–)
3	पैरा–4.1	निर्णीत	(–अपडेटिड–)
4	पैरा–4.2	निर्णीत	(–अपडेटिड–)
5	पैरा–4.3	निर्णीत	(–अपडेटिड–)
6	पैरा–4.4	निर्णीत	(–अपडेटिड–)
7	पैरा–5	निर्णीत	(–अपडेटिड–)
8	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत	
9	पैरा–5 (2)	अनिर्णीत	
10	पैरा–6	निर्णीत	(–अपडेटिड–)
11	पैरा–6.1	अनिर्णीत	
12	पैरा–7	अनिर्णीत	
13	पैरा–8	अनिर्णीत	
14	पैरा–9	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है)
15	पैरा–10	निर्णीत	(–यथोपरि–)
16	पैरा–10.1	निर्णीत	(दुकानों के किराये के इकरारमानों की

			शर्तों के अनुसार बढ़ौतरी कर दी गई है)
17	पैरा–11	निर्णीत	(₹15100 की वसूली रसीद संख्या 20/70, 21/70 दिनांक 24.12.15, रसीद संख्या 4/71 दिनांक 19.1.2016 द्वारा कर ली गई है जमा की पुष्टि कर ली गई है)
18	पैरा–12	निर्णीत	(₹131 की वसूली रसीद संख्या 37/89 दिनांक 10.8.2017 द्वारा कर ली गई है)
19	पैरा–13 (क)	निर्णीत	(₹454 की वसूली रसीद संख्या 10/90 दिनांक 21.9.2017 द्वारा कर ली गई है)
20	पैरा–13 (ख)	निर्णीत	(₹372 की वसूली रसीद संख्या 3/70 दिनांक 9.12.2015 द्वारा कर ली गई है)
21	पैरा–13 (ग)	निर्णीत	(₹616 की वसूली रसीद संख्या 2/70 दिनांक 9.12.2015 द्वारा कर ली गई है)
22	पैरा–14	अनिर्णीत	
23	पैरा–15	अनिर्णीत	
24	पैरा–16	अनिर्णीत	
25	पैरा–16.1	अनिर्णीत	
26	पैरा–16.2	अनिर्णीत	
27	पैरा–17	निर्णीत	(₹7710 की वसूली कर ली गई है जिसके जमा की पुष्टि कर ली गई है)
28	पैरा–17.1	निर्णीत	(₹101 की वसूली रसीद संख्या 11/90 दिनांक 21.9.17 द्वारा कर ली गई है)
29	पैरा–18	निर्णीत	(–अपडेटिड–)
30	पैरा–19	अनिर्णीत	
31	पैरा–20	अनिर्णीत	

दिनांक 31.3.15 तक अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	141
वर्तमान अवधि में लगाए गए पैरे	20
वर्तमान अवधि में निर्णीत किए गए पैरे	24
अन्तशेष	137

N.P. Talai